तारीख हुक्म	हुक्म या कांर्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तारीख [illegible] जारी हुए
	राजस्व वाद संख्या 01/2016 उनवान [illegible] बनाम [illegible]	
06/11/18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी सरकार उप. वकील वादी ने बहस हेतु मय चाहा मूल वाद दिनांक 06/06/2017 से बहस में नियत है अतः अब बहस हेतु दिया जाना न्यायोचित नहीं है वाद का निर्णय वादपत्र, जवाब, तनकीयात एवं साक्ष्य के अनुरूप गुणावगुण पर किया गया। वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य वादी के अनुरूप अस्वीकार किया गया विस्तृत आदेश पृथक से जारी कर पत्रावली में शामिल की गई पत्रावली बाद तामील हुक्म होकर नस्ती कायम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 01/2016

नारायणनाथ पुत्र श्री किशननाथ, जाति जोगी, आयु 60 वर्ष, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

वादी

विरुद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, महोदय अजमेर

प्रतिवादी

निर्णय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील वादी :– श्री इन्द्रेश कुमार

वकील प्रतिवादी:– श्री पैरोकार सरकार

दिनांक 06.01.2026

वादी की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि वादी कृषक समुदाय वर्ग सदस्य है। उसके जीविकोपार्जन का साधन कृषि आय है। वादी अपने पूर्वाधिकारियों का समय से ग्राम जोगियों का नाडा स्थित पटवार हल्का सरगांव स्थित कृषि भूमि खरारा संख्या 14 रकबा 15 बीघा ने से 7 बीघा भूमि पर, खसरा संख्या 79 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि पर एवं खसरा संख्या 352/70 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि ने 2 बीघा भूमि पर कई दशकाधिक अवधि से सत्तत् निरन्तर काबिज चला आ रहा है। वादी ने उपरोक्त भूमि को वाड लगाकर अपने कब्जे से महदूद कर रखा है तथा उपरोक्तं भूमिको काश्त करने हेतु बहूमूल्य अर्थ श्रम का विनिवेश कर उपजाऊ नि रासायनिक खाद आदि डालकर, कंकड पत्थर आदि साफ कर कारत योग्य कर रखा है। वादी एवं उसके परिवार की जीविकोपार्जन उपरोक्त कृषि भूमि से प्राप्त आय है। ग्राम जोगियों का नाडा किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्र से बाहर है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सीमान्त काश्तकारों को काश्त हेतु भूमि आवंटित किये जाने हेतु शिविर लगवाये जाते रहे है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तरविष्ट संरचित नियम के तहत वादी उपरोक्त वाद पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर नियमन की पात्रता रखते है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिये प्रशासन गांवों के संग आयोजित कैम्प सरगांव में उपरोक्त वाद पैरा सख्या 2 में वर्णित भूमि के बाबत् प्रस्तुत नियमन हेतु आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 4.4.2013 को उपरोक्त भूमि वादी के नाम नियमन किये जाने की सिफारिश भी की थी। किन्तु सहवन से उपरोक्त भूमि के बाबत् वाद–विवाद एवं अन्य का कब्जा होने के कारण नियमन की पत्रावली अपास्त की गई थी। जिसके बाबत वादी सक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष दिनांक 18.7.2013 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो उक्त प्रतिवेदन पर कार्यालय तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से यह वादी का वाद पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर आधिपत्य होते हुये वादी की उपरोक्त नियमन बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन भूमि के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति ही होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी। वादी उपरोक्त वाद पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि में अपने हित अधिकार रखता है तथा नियमन की पात्रता रखता है। इस बावत् कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 6.2.2014 को वादी को न्यायिक कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करने बाबत निर्देशित किया गया। वादी द्वारा दिनांक 3.9.2015 को उपरोक्त भूमि में उसे वांछित अधिकारों के अन्तरिवष्ट अनुतोष प्रदत्त किये जाने बाबत प्रतिवादी संख्या 2 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत 2 माह समयावधि का विधिक नोटिस दिया। उक्त नोटिस की अवधि परिपूर्ण हो चुकी है। किन्तु वादी को वाद पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का नियमन नहीं किया गया। अतः यह वाद संस्थित किया आवश्यक हुआ। प्रस्तुत वाद हेतु वाद कारण उपरोक्तानुसार दिनांक 4.4.2013, 30.9. 2013 एवं 3.9.2015 को उत्पन्न होकर आज तक सतत् है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम जोगियों का भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 15 बीघा मे से संख्या 79 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा मे से 4 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 352/70 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मे से 2 बीघा भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

वादी को खातेदार घोषित किये जाने की डिकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व पारित किये जाने की कृपा करावे।

वादी का वाद दिनांक 08.01.2016 को दर्ज किया गया। दिनांक 19.07.2016 को तहसीलदार किशनगढ ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद, वादी स्वयं सिद्व करें। दिनांक 22.07.2016 को प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। दिनांक 26.08.2016 को वादी की साक्ष्य में वादी संख्या 01 नारायणनाथ, गवाह छीतरलाल, गवाह मानानाथ की साक्ष्य ली गई तथा जिरह दिनांक 22.12.2016 को पूर्ण की गई। दिनांक 25.04.2017 को प्रतिवादी की ओर से ऑफिस कानूनगो हरिमोहन पारीक के बयान लेखबद्ध किये गये। दिनांक 06.06.2017 से प्रकरण बहस अन्तिम में नियत था किन्तु दिनांक 06.01.2026 तक भी बहस नहीं करने पर दिनांक 06.01.2026 को वाद को गुणावगुण पर तनकीवार विश्लेषण के अनुसार निर्णीत किया गया जो इस प्रकार है:–

• तनकी संख्या 01:– आया वाद के पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम जोगियों का नाडा के खसरा संख्या 14 रकबा 15 बीघा भूमि में से 07 बीघा , खसरा संख्या 79 रकबा 11 बीघा 10 बीस्व में से 04 बीघा एवं खसरा संख्या 352/70 रकबा 03 बीघा 15 बीस्वा भूमि में से 02 बीघा भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है — वादी

निर्णय :– तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में प्रदर्श 01 जमाबन्दी सम्वत 2067–70, प्रदर्श 02 नोटिस धारा 82(2) सी.पी.सी. की प्रति प्रदर्श 03 पोस्टल रसीद प्रदर्श 04 तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, प्रदर्श 05 खसरा परिवर्तनशील। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादअधीन भूमि पर बतौर अतिक्रमी रहा है तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का विवाद होने के कारण ही वादी को उक्त भूमि का आंवटन नहीं किया गया। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार नहीं प्रदत्त किये जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों एवं परिपत्रों के द्वारा राजकीय भूमि पर केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिविरूद्ध माना गया है। (परम सुख बनाम स्टेट 1978 आर.आर. डी. 482) (राज़. सरकार बनाम गिरधारीलाल 1988 आर.आर. डी. 78) (राज. सरकार बनाम धरमा 1988 आर.आर. डी. 364)(रामसिंह बनाम रतिराम 1996 आर.आर. डी. 389 पेज संख्या 391)। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

• तनकी संख्या 02:– आया वाद के पैरा संख्या 04 के अनुसार वादी उपरोक्त भूमि पर अधिकार रखताहै। खातेदारी धारणता के अधिकार रखता है– वादी

निर्णय :– वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध घोषणात्मक श्रेणी का अनुतोष चाहा है किन्तु वादी तनकी संख्या 01 को सिद्व करने में असफल रहें हैं, वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है तथा वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है, तनकी संख्या 01 की रूह में उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

• तनकी संख्या 03:– आया कि वादी का वाद अवधारणीय नहीं है — प्रतिवादी

निर्णय :– वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि होने तथा तहसीलदार किशनगढ के पैरोकार की ओर से दर्ज बयानात् के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है जिसके बाबत तहसीलदार किशनगढ द्वारा उल्लेख किया गया है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

वाद में प्रस्तुत साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी तथा वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खारिज वाद डिक्री पर्चा पृथक से तैयार किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ अजमेर

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ (अजमेर)
व इजलास श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद सं0 1/2016

नारायणनाथ पुत्र श्री किशननाथ, जाति जोगी, आयु 60 वर्ष, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान — वादी

विरुद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, महोदय अजमेर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 06.01.2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी रजत यादव, आई.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, दस्तावेजात, साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी, बहस वकील उभयपक्ष एवं वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.01.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ अजमेर